प्रेषक,

**मनोज कुमार सिंह,**
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनॉक 27 जून, 2025**

**विषय:-**वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष एम0एस0 सर्जरी विभाग का रिनोवेशन कार्य हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2025-26/80, दिनांक 28.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष एम0एस0 सर्जरी विभाग का रिनोवेशन कार्य हेतु अवशेष रू0 76.75 लाख की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

**2-** उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-54/2024/।/520161/2024/71-1002/53/2023 पार्ट-2, दिनांक 14.03.2024 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष एम0एस0 सर्जरी विभाग का रिनोवेशन कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आकलित लागत रू0 226.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में रू0 150.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार परियोजना हेतु रू0 76.75 लाख की धनराशि अवमुक्त किया जाना शेष है।

**3-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 17 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष एम0एस0 सर्जरी विभाग का रिनोवेशन कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आकलित लागत रू0 226.75 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सा संस्थानों में एम0 बी0 बी0 एस0 एवं पी0जी0 पाठयक्रमों की सीटों में वृद्धि हेतु लेखाशीर्षक-4210-03-789-01-02 के मानक मद- 24- वृहत् निर्माण कार्य मद में प्राविधानित बजट रू0

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12000.00 लाख में से प्रश्नगत परियोजना की अवशेष **रू0 76.75 लाख (रू0 छिहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) (राज्यांश)** की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते से हस्तान्तरित किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों**

1. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5. शासनादेश संख्या-54/2024/I/520161/2024/71-1002/53/2023 पार्ट-2, दिनांक 14.03.2024 में उल्लिखित शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 76,75,000 ( रुपये छिहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 **लेखा शीर्षक** 4210037890102 एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

**5-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**मनोज कुमार सिंह**
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या व तद्दिनांक-उपर्युक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि,** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**मनोज कुमार सिंह**

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।